सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 124/18 **निर्णय दिनांकः 25.06.2018**

1. सहीदाबानो पत्नी बरकत अली खान जाति मुसलमान निवासी 3/317 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25—11—2005
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री पवन कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर निर्णय दिनांक 25—11—2005 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 2 डीडी के मुरब्बा नम्बर 212/35 के विशेष आवंटन

में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। किन्तु उक्त रकबे को 20 प्रतिशत राशि व सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ।

अदालत मातहत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वह साधारण नोटिस है अथवा रजिस्टर्ड नोटिस कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। साधारण नोटिस है तो उस पर कोई तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट नहीं है। अदालत मातहत की फर्द अहकाम में कहीं भी रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश नहीं दिये गये है। बिना आदेश यदि रजिस्टर्ड नोटिस भेजे जाते है तो ऐसे नोटिस की कानून में कोई अहमियत नहीं है। यदि रजिस्टर्ड नोटिस मान भी लिया जावे तो उसकी रसीद या एडी पत्रावली में कहीं उपलब्ध नहीं है। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है। सुनवाई का अवसर प्रदान न देकर अदालत मातहत ने नेचुरल जस्टिस के सिद्वान्तों की अवहेलना की है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टातों में यह अभिलिखित व सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि विशेष आवंटन के लिए बिना कोई नोटिस दिये प्रार्थना पत्र एकपक्षीय खारिज किया गया है, सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, आदेश अधिनस्थ न्यायालय का सेट असाईड किया गया।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के बिन्दु पर कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—11—2005 के विरूद्व अपील दिनांक 08—03—2018 को प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण व वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारणखारिज किया गया है। अपीलांट को 20 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये परन्तु अपीलांट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—11—2005 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 08—03—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 2 डीडी के मुरब्बा नम्बर 212 / 35 के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवेदित भूमि

का 20 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु व बकाया सबूत पेश करने हेतु नोटिस क्रमांक 3746 दिनांक 10—11—2005 जारी किये गये कि वे वादगत् भूमि के बाबत् 20 प्रतिशत राशि व वांछित सबूत यथा गत् 20 वर्षो से अधिक अधिवास के प्रमाणीकरण हेतु वोटर लिस्ट सूची 1971, 1975, 1980, 1993 व 1998, मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र, भूमिहीन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज दो फोटो, आवेदिका का आवंटन प्रार्थना पत्र होने पर उनके पति या पिता का व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करावें। अपीलांट द्वारा निर्धारित दिनांक को आवंटन हेतु निर्धारित 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई ना ही आवंटन हेतु वांछित सबूत ही प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र दिनांक 25—11—2005 को निरस्त कर दिया गया।

(3) प्रकरण में अपीलांट बावजूद नोटिस निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई ना ही अदालत मातहत द्वारा वांछित सबूत ही प्रस्तुत किये गये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट द्वारा 20 प्रतिशत राशि व वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया है तथा खारिजी की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 25—11—2005 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर